भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
महालेखाकार का कार्यालय
(लेखा एवं हकदारी)-I, महाराष्ट्र

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
(ACCOUNTS & ENTITLEMENT)-I, MAHARASHTRA

2 रा मंजिल, प्रतिष्ठा भवन, न्यु मरीन लाइन्स, 101, महर्षी कर्वे मार्ग, चर्चगेट, मुंबई - 400 020. दूरभाष क्र.- (022)22039680, फैक्स - 22086984
ई-मेल : agaeMaharashtra1@cag.gov.in, वेबसाईट : http://agmaha.cag.gov.in

2nd Floor, Pratishtha Bhavan, New Marine Lines, 101, Maharshi Karve Road, Churchgate, Mumbai - 400 020. Tel.No.- (022) 22039680, Fax - 22086984
e-mail : agaeMaharashtra1@cag.gov.in, Website : http://agmaha.cag.gov.in

पंजीकृत डाक

संख्या - पी.ए. I/शासकीय/जी.आर. सं.P/20/Govt/60939800/**Rajasthan**/जा.सं. 60911949 3/11/2020

सेवा में,

1. सभी खजाना कार्यालय

2. वेतन एवं लेखा अधिकारी,
लेखा-कोष भवन, ए विंग,
बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा पूर्व,
मुंबई-400 051.

विषय –**Increase in Pension and Medical Allowance to the Freedom Fighters and their dependents with effect from 20/02/2019.**

संदर्भ –**Govt. of Rajasthan, Gen Administration (Group 6) Div. Order No.प.4(4)साप्र/8/2008 dt 20/02/2019**

महोदय,

उपरनिर्दिष्ट पत्र की एक प्रति इसके साथ भेजी जा रही है, जो महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी) **Rajasthan** के पत्र संख्या पेंशन प्राधि।स्टेट/एफ़.एफ़.गार्ड/2019-20/6801 दिनांक **12/03/2020** द्वारा प्राप्त हुआ है।

2. संलग्न जी.आर. के अनुसार कृपया इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। सभी खजाना अधिकारियों से अनुरोध है कि उनके नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले तथा उन सभी उप खजाना कार्यालयों को इस जी.आर./परिपत्र की प्रति भेजें। क्योंकि उन्हें अलग से जी.आर. नहीं भेजा गया है

3. सभी **Rajasthan** सरकार के **Freedom Fighter** पेंशन धारकों को सूचित करने के लिए परिपत्र की एक प्रति कृपया सूचना पट्ट पर दर्शायें।

4. **The said orders have been uploaded on this office website i.e.agmaha.cag.gov.in.**

कृपया इस परिपत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए. I

संख्या - पी.ए. I/शासकीय/जी.आर. सं. P/20/Govt/60939800/Rajasthan/जा.सं.

1. कार्यालय, महालेखाकार **(लेखा व हकदारी)-II, महाराष्ट्र, नागपुर-440 001 (पेंशन विविध अनुभाग)**
2. निदेशक, खजाना एवं लेखा, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई.
3. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, पुणे विभाग, पुणे.
4. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, नागपुर विभाग, नागपुर.
5. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, नाशिक विभाग, नाशिक
6. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद.
7. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, वेतन एवं लेखा अधिकारी, बांद्रा पूर्व, मुंबई-400 051.
8. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, अमरावती.
9. The Directorate of Accounts and Treasuries, New Administrative Building, 5th Floor, Computer Section, Opp. Mantralaya – 32.
10. महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी) , Rajasthan के पत्र संख्या पेंशन प्राधि।स्टेट/एफ़.एफ़.गार्ड/2019-20/680 दिनांक 12/03/2020.

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक प0 4(4)साप्र/6/2008 जयपुर, दिनांक : 20-02-2019

निदेशक,
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दी जाने वाली सम्मान पेंशन राशि एवं चिकित्सा सहायता में वृद्धि किये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 01.04.2013 के क्रम में स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन नियम, 1959 के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य मद से देय सम्मान पेंशन राशि 20,000/– को बढाकर 25,000/– रूपये (अक्षरे पच्चीस हजार मात्र) प्रतिमाह किये जाने एवं चिकित्सा सहायता के रूप में वर्तमान में देय रूपये 4,000/– को बढाकर रूपये 5,000/– (अक्षरे पाच हजार रूपये मात्र) कुल 30,000/– प्रतिमाह किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। उक्त स्वीकृति जारी होने की दिनांक अर्थात 20 फरवरी, 2019 से प्रभावी होगी।

उक्त व्यय बजट मद 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–कार्यक्रम–107–स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना (01) स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को पेंशन आदि, सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से, 24–पेंशन एवं उपादान, (राज्यनिधि) से वहन किया जायेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–2) विभाग द्वारा उनकी आई0डी0 क्रमांक 101900759, दिनांक 20.02.2019 द्वारा दी गई सहमति के अनुसरण में जारी की गई है।

भवदीय
(महेश चन्द्र शर्मा) 20/2/19
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, उप मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
5. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि राजस्थान राज्य से बाहर रहने वाले स्वतंत्रता सेनानियों अथवा उनके आश्रितों को बढी हुई पेंशन राशि के भुगतान की व्यवस्था करवाएँ।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग।
10. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग।
11. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव